

फार्म-अड़तालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
(उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-70 के उपनियम-11 को देखें)
शुद्ध देय कर का विवरण

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता.....
2-करदाता पहचान संख्या [टिन]
3-प्रान्त के अंदर करअवधि के दौरान उत्पादित वैट वस्तुओं के बिक्री पर देयकर की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिक्री मूल्य	कर की दर	कर की राशि
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

- 4- करअवधि में उत्पादित वैट वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान बिक्री पर देयकर की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिक्री मूल्य	कर की दर	कर की राशि
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

- 5- वैट वस्तुओं के निर्माण / प्रसंस्करण / पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की टैक्स पीरियड के दौरान प्रान्तीय बिक्री पर आई०टी०सी० की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	क्रय मूल्य(कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की राशि		योग
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा/देय	राज्य सरकार को भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
vi								
vii								
viii								
	योग							

6- अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान वैट वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग के लिए प्रयुक्त वैट वस्तुओं की करअवधि के दौरान बिक्री पर आईटीसी की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	कर मूल्य(कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की राशि		योग पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा/देय	पंजीकृत व्यवहारी से	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
	योग							

7क- पूर्ण करमुक्ति के मामले में शुद्ध देयकर

क्र०सं०	विवरण	यू०पी० वैट	केन्द्रीय बिक्री कर
1-	देय कर		
2-	आईटीसी		
3-	शुद्ध देयकर		

7ख- ऑशिक छूट के मामलों में शुद्ध देयकर

क्र०सं०	विवरण	यू०पी० वैट	केन्द्रीय बिक्री कर
1-	देय कर		
2-	आईटीसी		
3-	शुद्ध देयकर(7क के अनुसार)		
4-	निरसित अधिनियम के अंतर्गत छूट की प्रतिशत दर		
5-	क्र०सं० 7ख(4)में ऑशिक अन्तर की धनराशि		
6-	शुद्ध देयकर		

8(क)-- अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना (प्रान्तीय अथवा अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान वैट वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री)

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा/माप	करमूल्य, (कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की धनराशि		योग
			पंजीकृत व्यापारी से	पंजीकृत व्यापारी से भिन्न		पंजीकृत व्यापारी को भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य	राज्य सरकार को किया गया भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
vi								
vii								
viii								
	योग							

8(ख)-अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना (वैट गुड्स के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री से अलग निस्तारण)

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा/माप	करमूल्य, (कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की धनराशि		रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि	ई0आई0टी0सी0 (7+8-9)
			पंजीकृत व्यापारी से	पंजीकृत व्यापारी से भिन्न		पंजीकृत व्यापारी को भुगतान की गयी अथवा भुगतान योग्य धनराशि	राज्य सरकार को भुगतान की गयी धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i									
ii									
iii									
iv									
v									
vi									
vii									
viii									
	योग								

9- करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की अवशेष धनराशि

हकदारी प्रमाण पत्र की कुल धनराशि	यू0पी0 वैट के अंतर्गत देयकर	केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत देयकर	ई0आई0टी0सी0 की धनराशि	योग	करअवधि तक प्रगत्यात्मक कटौती की धनराशि	करअवधि के अन्त में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7

10- रिफण्ड/डेफरमेंट की धनराशि.....

11- करअवधि के उपरांत छूट/डेफरमेंट हेतु उपलब्ध अवशेष धनराशि.....

घोषणा
 मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी प्रास्थिति
 अर्थात (स्वामी, निदेशक, साझेदार आदि जैसा नियम-32(6) में प्राविधानित है)
 एतद द्वारा घोषणा सत्यापित करता हूँ कि दिये गये विवरण एवं ऑकडे मेरे विश्वास एवं जानकारी में सत्य एवं पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर न तो अनदेखा किया गया है न तो छिपाया गया है न तो कहा गया है

दिनांक
स्थान

साझीदार/ स्वामी/कर्ता आदि के नाम व पता

प्रास्थिति
 व्यापारी का नाम
 करदाता पहचान संख्या (टिन).....

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।